2019 का विधेयक संख्यांक 5

वित्त विधेयक, 2019

(लोक सभा में पुरःस्थापित रूप में)

लोक सभा में 1 फरवरी, 2019
को पुरःस्थापित रूप में

2019 का विधेयक संख्यांक 5

[दि फाइनेंस बिल, 2019 का हिंदी अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2019

आय-कर की विद्यमान दरों को वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए जारी रखने और करदाताओं को कतिपय अनुतोष प्रदान करने और कतिपय अधिनियमितियों में संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2019 है।

(2) इस अधिनियम में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 2 से धारा 10, 1 अप्रैल, 2019 को प्रवृत्त होंगी।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

2018 का 13

आय-कर।

2. वित्त अधिनियम, 2018 की धारा 2 और पहली अनुसूची के उपबंध, 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभ होने वाले, यथास्थिति, निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष के लिए आय-कर के संबंध में, निम्नलिखित उपांतरणों सहित, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे 1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभ होने वाले, यथास्थिति, निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष के लिए आय-कर के संबंध में लागू होते हैं, अर्थात् :—

(क) धारा 2 में,—

(i) उपधारा (1) में, "2018" अंकों के स्थान पर, "2019" अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) में, पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :";

(iii) उपधारा (11) और उपधारा (12) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

'(11) उपधारा (1) से उपधारा (3) में यथाविनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, लागू अधिभार द्वारा यथावर्धित आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की आधारभूत शिक्षा तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके। ';

(iv) उपधारा (13) और उपधारा (14) को उपधारा (12) और उपधारा (13) के रूप में क्रमशः पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ;

(v) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (13) के खंड (क) में, "2018" अंकों के स्थान पर "2019" अंक रखे जाएंगे ;

(ख) पहली अनुसूची में,—

(i) भाग 1 के स्थान पर, निम्नलिखित भाग 1 रखा जाएगा, अर्थात् :—

"भाग 1

आय-कर

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	12,500 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,12,500 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	10,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,10,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,00,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में,—

(क) जिनकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास लाख रुपए से अधिक है, आधिक्य में है; और

(ख) जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक है किंतु 20,000 रु० से अधिक नहीं है	1,000 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 10,000 रु० से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु० से अधिक है	3,000 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 20,000 रु० से अधिक हो जाती है।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर — 30 प्रतिशत।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर — 30 प्रतिशत।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा ङ

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में,—	
(i) जहां पूर्ववर्ष 2016-2017 में इसका कुल आवर्त या सकल प्राप्ति दो अरब पचास करोड़ रुपए से अधिक न हो	कुल आय का 25 प्रतिशत ;
(ii) मद (i) में निर्दिष्ट के सिवाय	कुल आय का 30 प्रतिशत ।
II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—	
(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—	
(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या	
(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए उस सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,	
और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है	50 प्रतिशत ;
(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो	40 प्रतिशत।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

"(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस रकम से, उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है। ";

(ii) भाग 3 के पैरा ङ के उपपैरा 1 के खंड (i) में, "पूर्ववर्ष 2016-2017" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "पूर्ववर्ष 2017-2018" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(iii) भाग 4 के नियम 8 में,—

(अ) उपनियम (1) और उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(1) जहां निर्धारिती की 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षो से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए ऐसी हानि जो,—

(i) 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि है,

2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी।

(2) जहां निर्धारिती की 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कोई कृषि-आय है और 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए ऐसी हानि जो,—

(i) 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि है,

2020 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी।";

(आ) उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 2011 (2011 का 8) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2012 (2012 का 23) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2013 (2013 का 17) की पहली अनुसूची के या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 (2014 का 25) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2015 (2015 का 20) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी। "।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 16 का संशोधन।

3. आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 के खंड (iक) [वित्त अधिनियम, 2018 की धारा 7 द्वारा यथा अंतःस्थापित] में, "चालीस हजार" शब्दों के स्थान पर, "पचास हजार" शब्द 1 अप्रैल, 2020 से रखे जाएंगे।

1961 का 43
2018 का 13

धारा 23 का संशोधन।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 23 में, 1 अप्रैल, 2020 से,—

(क) उपधारा (4) में,—

(i) प्रारंभिक भाग में, "एक से अधिक गृह" शब्दों के स्थान पर, "दो से अधिक गृह" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (क) में, "एक गृह" शब्दों के स्थान पर, "दो गृहों" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ख) में, "उस गृह से भिन्न" शब्दों के स्थान पर, "उस गृह या उन गृहों से भिन्न" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (5) में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 24 का संशोधन।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 24 में, 1 अप्रैल, 2020 से,—

(क) पहले परंतुक में, "कटौती की रकम" शब्दों के स्थान पर, "यथास्थिति, कटौती की रकम या कटौती की रकमों का योग" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) दूसरे परंतुक में, "कटौती की रकम" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति कटौती की रकम, या कटौती की रकमों का योग" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि पहले और दूसरे परंतुकों के अधीन, कटौती की रकमों का योग दो लाख रुपए से अधिक नहीं होगा।"।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (1) में, खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2020 से अंतःस्थापित किए जाएंगे— धारा 54 का संशोधन।

"परंतु जहां पूंजी अभिलाभ की रकम दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वहां निर्धारिती अपने विकल्प पर, भारत में दो निवास गृह क्रय या संनिर्मित कर सकेगा और जहां ऐसे विकल्प का प्रयोग किया जाता है, वहां,—

(क) इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "भारत में एक निवास गृह" शब्दों के स्थान पर, "भारत में दो निवास गृह" शब्द रख दिए गए थे ;

(ख) इस उपधारा और उपधारा (2) में "नई आस्ति" के प्रति किसी निर्देश का अर्थ, भारत में दो निवास गृहों के प्रतिनिर्देश के रूप में लगाया जाएगा :

परंतु यह और कि जहां किसी निर्धारण वर्ष के दौरान निर्धारिती ने पहले परंतुक में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग कर लिया है, वहां वह तत्पश्चात् विकल्प का प्रयोग उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए करने का हकदार नहीं होगा।"।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 80झखक की उपधारा (2) के खंड (क) में, "2019" अंकों के स्थान पर, "2020" अंक 1 अप्रैल, 2020 से रखे जाएंगे। धारा 80झखक का संशोधन।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 87क में, 1 अप्रैल, 2020 से— धारा 87क का संशोधन।

(क) "तीन लाख पचास हजार" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "दो हजार पांच सौ" शब्दों के स्थान पर, "बारह हजार पांच सौ" शब्द रखे जाएंगे।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (i) में, "दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "चालीस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे। धारा 194क का संशोधन।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 194झ के पहले परंतुक में, "एक लाख अस्सी हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख चालीस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे। धारा 194झ का संशोधन।

अध्याय 4

प्रकीर्ण

भाग 1

भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 का संशोधन

11. इस भाग के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। इस भाग का प्रारम्भ।

1899 का 2 **12.** भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,— धारा 2 का संशोधन।

(क) खंड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

1996 का 22 '(1) "आबंटन सूची" से ऐसी सूची अभिप्रेत है, जिसमें निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन निर्गमकर्ता द्वारा निक्षेपागार को प्रज्ञापित प्रतिभूतियों के आबंटन के ब्यौरे अंतर्विष्ट हों ;

(1क) "बैंककार" के अंतर्गत बैंक और बैंककार के रूप में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति है ;';

(ख) खंड (5) में, अंत में निम्नलिखित दीर्घ पंक्ति जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"किंतु इसके अंतर्गत कोई डिबेंचर नहीं है ;";

(ग) खंड (7) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(7क) "समाशोधन सूची" से इस निमित्त तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार किसी समाशोधन निगम को प्रस्तुत स्टाक एक्सचेंजों में व्यापार की गई संविदाओं से संबंधित विक्रय और क्रय के संव्यवहारों की सूची अभिप्रेत है ;

(7ख) "समाशोधन निगम" से प्रतिभूतियों या अन्य लिखतों के संव्यवहारों के समाशोधन और व्यवस्थापन के क्रियाकलापों को करने के लिए स्थापित कोई इकाई अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज का समाशोधन गृह भी है ;';

(घ) खंड (10) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(10क) "डिबेंचर" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(i) डिबेंचर स्टाक, किसी कंपनी का ऐसा बंधपत्र या कोई अन्य लिखत, जो किसी ऋण का साक्ष्य है, चाहे उससे कंपनी की आस्तियों पर कोई भार गठित होता है या नहीं ;

(ii) किसी निगमित कंपनी या निगमित निकाय द्वारा निर्गमित डिबेंचर की प्रकृति के बंधपत्र ;

(iii) निक्षेप प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक आवधिक बिल, वाणिज्यिक कागज और एक वर्ष तक की मूल या आरंभिक परिपक्वता वाले ऐसी अन्य ऋण लिखत, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए ;

(iv) प्रतिभूतित ऋण लिखतें ; और

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट कोई अन्य लिखतें ;

(10ख) "निक्षेपागार" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(क) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में यथापरिभाषित कोई निक्षेपागार; और 1996 का 22

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, निक्षेपागार के रूप में घोषित कोई अन्य इकाई ;';

(ङ) खंड (12) के अंत में, "और इसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 11 के अर्थान्तर्गत इलैक्ट्रानिक रिकार्ड का अधिकार भी है" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ; 2000 का 21

(च) खंड (14) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(14) "लिखत" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(क) ऐसा प्रत्येक दस्तावेज, जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व, सृष्ट, अंतरित, सीमित, विस्तारित, निर्वापित या अभिलेखबद्ध किया जाता है या किया जाना तात्पर्यित है ;

(ख) किसी स्टाक एक्सचेंज या निक्षेपागार के संव्यवहार के लिए इलैक्ट्रानिक या इससे अन्यथा कोई ऐसा दस्तावेज, जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व, सृष्ट, अंतरित, सीमित, विस्तारित, निर्वापित या अभिलेखबद्ध किया जाता है या किया जाना तात्पर्यित है ; और

(ग) अनुसूची 1 में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज,

किंतु इसके अंतर्गत ऐसी लिखतें नहीं हैं, जो सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाएं ;';

(छ) खंड (15) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(15क) "निर्गमकर्ता" से प्रतिभूतियों का निर्गम करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;';

(ज) खंड (16क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'(16क) "विपण्य प्रतिभूति" से ऐसी प्रतिभूति अभिप्रेत है जो भारत में किसी स्टाक एक्सचेंज में व्यापार किए जाने योग्य है ;

(16ख) "बाजार मूल्य" से, किसी ऐसी लिखत के संबंध में, जिसके माध्यम से,—

(क) किसी स्टाक एक्सचेंज में किसी प्रतिभूति का व्यापार किया जाता है, ऐसी कीमत अभिप्रेत है, जिस पर उसका इस प्रकार व्यापार किया जाता है ;

(ख) कोई प्रतिभूति, जिसका किसी निक्षेपागार के माध्यम से अंतरण किया जाता है, किंतु स्टाक एक्सचेंज में व्यापार नहीं किया जाता है, ऐसी लिखत में वर्णित कीमत या प्रतिफल अभिप्रेत है ;

(ग) किसी प्रतिभूति का, जिसे स्टाक एक्सचेंज या निक्षेपागार से भिन्न किसी स्थान में व्यवहृत किया जाता है, ऐसी लिखत में वर्णित कीमत या प्रतिफल अभिप्रेत है ;';

(झ) खंड (23) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(23क) "प्रतिभूतियों" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(i) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में यथा परिभाषित प्रतिभूतियां ; 1956 का 42

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45प के खंड (क) में यथा परिभाषित कोई "व्युत्पन्नी" ; 1934 का 2

(iii) निक्षेप प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक आवधिक बिल, वाणिज्यिक कागज, निगम बंधपत्र पर रेपो और एक वर्ष तक की मूल या आरंभिक परिपक्वता वाली ऐसी अन्य ऋण लिखत, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए ; और

(iv) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कोई अन्य लिखत ;';

(ञ) खंड (26) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(27) "स्टाक एक्सचेंज" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं—

1956 का 42 (i) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में यथा परिभाषित कोई मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज ; और

(ii) प्रतिभूतियों में व्यौहार हेतु व्यापार करने या रिपोर्ट करने हेतु ऐसा अन्य प्लेटफार्म, जिसे केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।'।

धारा 4 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूतियों के किसी निर्गम, विक्रय या अंतरण की दशा में, ऐसी लिखत, जिस पर धारा 9क के अधीन स्टांप शुल्क प्रभार्य है, इस धारा के प्रयोजन के लिए मूल लिखत होगी और किसी ऐसे संव्यवहार से संबंधित किन्हीं अन्य लिखतों पर कोई स्टांप शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा ।"।

धारा 8क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

14. मूल अधिनियम की धारा 8क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

निक्षेपागार में व्यवहृत प्रतिभूतियों का स्टांप शुल्क के लिए दायी न होना।

'8क. इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) कोई निर्गमकर्ता, एक या अधिक निक्षेपागारों को प्रतिभूतियों का निर्गमन करके, ऐसे निर्गम की बाबत, अपने द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों की कुल रकम पर शुल्क से प्रभार्य होगा और ऐसी प्रतिभूतियों को स्टांपित करने की आवश्यकता नहीं होगी ;

(ख) किसी व्यक्ति से किसी निक्षेपागार को या किसी निक्षेपागार से किसी फायदाग्राही स्वामी को प्रतिभूतियों के रजिस्ट्रीकृत स्वामित्व का अंतरण शुल्क के लिए दायी नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "फायदाग्राही स्वामित्व" पद का वही अर्थ होगा, जो निक्षेपागार अधिनियम,
1996 का 22 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) में उसका है ।'।

नए भाग कक का अंतःस्थापन।

15. मूल अधिनियम के अध्याय 2 में, "लिखतों का शुल्क के बारे में दायित्व" से संबंधित भाग क के पश्चात्, निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'कक—स्टाक एक्सचेंजों और निक्षेपागारों में संव्यवहार लिखतों का शुल्क के बारे में दायित्व

स्टाक एक्सचेंजों और निक्षेपागारों में संव्यवहारों के लिए शुल्क से प्रभार्य लिखतें।

9क. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) जब किन्हीं प्रतिभूतियों का विक्रय, चाहे परिदान आधारित हो या उससे अन्यथा, किसी स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से किया जाता है, तो समाशोधन सूची में के प्रत्येक ऐसे विक्रय पर स्टांप शुल्क का संग्रहण, उसके क्रेता से, स्टाक एक्सचेंज द्वारा राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत समाशोधन निगम की ओर से ऐसे क्रेता की प्रतिभूतियों के संव्यवहार के व्यवस्थापन के समय ऐसी प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य पर स्टाक एक्सचेंज द्वारा ऐसी रीति में किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार, नियमों द्वारा उपबंधित करे ;

(ख) जब किसी प्रतिफल के लिए प्रतिभूतियों का अंतरण, चाहे परिदान आधारित हो या उससे अन्यथा, किसी निक्षेपागार द्वारा खंड (क) में निर्दिष्ट किसी संव्यवहार से भिन्न आधार पर किया जाता है तो निक्षेपागार द्वारा राज्य सरकार की ओर से ऐसे अंतरण पर स्टांप शुल्क का संग्रहण ऐसी प्रतिभूतियों के अंतरक से, उसमें विनिर्दिष्ट प्रतिफल की रकम पर, ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार, नियमों द्वारा उपबंधित करे, किया जाएगा ;

(ग) जब किसी निक्षेपागार के अभिलेखों में प्रतिभूतियों के निर्गमन के अनुसरण में, कोई सृजन या परिवर्तन किया जाता है, तो आबंटन सूची पर स्टांप शुल्क का संग्रहण प्रतिभूतियों के निर्गमकर्ता से ऐसी सूची में यथा अंतर्विष्ट प्रतिभूतियों के कुल बाजार मूल्य पर निक्षेपागार द्वारा राज्य सरकार की ओर से ऐसी रीति में किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे ।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट लिखतें अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट दर पर, उसमें यथा उपबंधित शुल्क से प्रभार्य होंगी और ऐसी लिखतों को स्टांपित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) इस भाग के प्रारंभ की तारीख से, राज्य सरकार द्वारा उपधारा (1) में वर्णित संव्यवहारों से सहबद्ध, किसी नोट या ज्ञापन या अन्य दस्तावेज पर, चाहे इलैक्ट्रॉनिक हो या अन्यथा, कोई स्टांप शुल्क प्रभार्य या संग्रहीत नहीं किया जाएगा।

(4) यथास्थिति, स्टाक एक्सचेंज या उसके द्वारा प्राधिकृत समाशोधन निगम या निक्षेपागार, प्रत्येक मास के अंत से तीन सप्ताह के भीतर और केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार, इस धारा के अधीन संग्रहीत स्टांप शुल्क को, उस राज्य सरकार को अंतरित करेगा, जहां क्रेता का आवास अवस्थित है और क्रेता के भारत से बाहर अवस्थित होने की दशा में, उस राज्य सरकार को अंतरित करेगा, जहां ऐसे क्रेता के व्यापार

सदस्य या दलाल का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है, और उस दशा में, जहां क्रेता का ऐसा कोई व्यापार सदस्य नहीं है, वहां उस राज्य सरकार को अंतरित करेगा, जहां सहभागी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है :

परंतु ऐसे अंतरण से पूर्व, स्टाक एक्सचेंज या उसके द्वारा प्राधिकृत समाशोधन निगम या निक्षेपागार, सुकर प्रभारों हेतु स्टांप शुल्क के ऐसे प्रतिशत की कटौती करने का हकदार होगा, जैसा ऐसे नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए।

स्पष्टीकरण—"सहभागी" पद का वही अर्थ होगा, जो निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 के खंड (छ) में उसका है। 1996 का 22

(5) प्रत्येक स्टाक एक्सचेंज या उसके द्वारा प्राधिकृत समाशोधन निगम और निक्षेपागार, सरकार को उपधारा (1) में निर्दिष्ट संव्यवहारों के ब्यौरे ऐसी रीति में देगा, जो केंद्रीय सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे ।

स्टाक एक्सचेंजों या निक्षेपागारों के माध्यम से अन्यथा संव्यवहारों के लिए शुल्क से प्रभार्य लिखत।

9ख. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) जब किसी निर्गमकर्ता द्वारा प्रतिभूतियों का कोई निर्गम किसी स्टाक एक्सचेंज या निक्षेपागार के माध्यम से अन्यथा किया जाता है, तो निर्गमकर्ता द्वारा ऐसे प्रत्येक निर्गम पर स्टांप शुल्क अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट दर पर इस प्रकार निर्गमित प्रतिभूतियों के कुल बाजार मूल्य पर उस स्थान पर संदेय होगा, जहां उसका रजिस्टीकृत कार्यालय अवस्थित है ;

(ख) जब प्रतिफल के लिए प्रतिभूतियों का कोई विक्रय या अंतरण या पुनः निर्गम किसी स्टाक एक्सचेंज या निक्षेपागार के माध्यम से अन्यथा किया जाता है, तो, यथास्थिति, विक्रेता या अंतरक या निर्गमकर्ता द्वारा ऐसे प्रत्येक विक्रय या अंतरण या पुनः निर्गम पर स्टांप शुल्क अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट दर पर ऐसी लिखत में विनिर्दिष्ट प्रतिफल की रकम पर संदेय होगा ।'।

धारा 21 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

(क) "ऐसे स्टाक या प्रतिभूति के उस मूल्य पर किया जाएगा, जो लिखत की तारीख के दिन उसकी औसत कीमत या मूल्य के बराबर है।" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे स्टाक या प्रतिभूति के बाजार मूल्य पर किया जाएगा।" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु स्टांप शुल्क की संगणना के लिए बाजार मूल्य,—

(i) किन्हीं प्रतिभूतियों में विकल्प की दशा में, क्रेता द्वारा संदत्त प्रीमियम होगा ;

(ii) कारपोरेट बंधपत्रों पर रेपो की दशा में, उधार लेने वाले द्वारा संदत्त ब्याज होगा ; और

(iii) अदला-बदली की दशा, नकद प्रवाह का केवल प्रथम चरण होगा ।"।

धारा 29 का संशोधन।

17. मूल अधिनियम की धारा 29 में,—

(i) खंड (क) में,—

(क) "सं0 27—(डिबेंचर)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

(ख) "सं0 62(क)—(किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय में के शेयरों के अंतरण)" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर का लोप किया जाएगा ;

(ग) "सं0 62(ख)—(धारा 8 द्वारा उपबंधित डिबेंचरों के सिवाय, ऐसे डिबेंचरों के, जो विपण्य प्रतिभूतियां हों, अंतरण चाहे वह डिबेंचर शुल्क के देने का दायी हो या न हो)" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ड) में, "विनिमय" शब्द के पश्चात्, ", जिसके अंतर्गत अदला-बदली भी है," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) खंड (च) में, "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(iv) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ज) स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से प्रतिभूति के विक्रय की दशा में, ऐसी प्रतिभूति के क्रेता द्वारा ;

(झ) स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से अन्यथा प्रतिभूति के विक्रय की दशा में, ऐसी प्रतिभूति के विक्रेता द्वारा ;

(ञ) निक्षेपागार के माध्यम से प्रतिभूति के अंतरण की दशा में, ऐसी प्रतिभूति के अंतरक द्वारा ;

(ट) किसी स्टाक एक्सचेंज या निक्षेपागार के माध्यम से अन्यथा प्रतिभूति के अंतरण की दशा में, ऐसी प्रतिभूति के अंतरक द्वारा ;

(ठ) प्रतिभूति के निर्गम की दशा में, चाहे वह स्टाक एक्सचेंज या निक्षेपागार के माध्यम से हो या अन्यथा, ऐसी प्रतिभूति के निर्गमकर्ता द्वारा ; और

(ड) किसी अन्य ऐसी लिखत की दशा में, जो इसमें विनिर्दिष्ट नहीं है, ऐसी लिखत को बनाने, लिखने या निष्पादित करने वाले व्यक्ति द्वारा ।"।

नई धारा 62क का अंतःस्थापन।

18. मूल अधिनियम की धारा 62 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 9क के उपबंधों के अनुपालन में चूक के लिए शास्ति।

"62क. (1) कोई व्यक्ति, जिससे,—

(क) धारा 9क की उपधारा (1) के अधीन शुल्क के संग्रहण की अपेक्षा है, उसके संग्रहण में असफल रहेगा ; या

(ख) धारा 9क की उपधारा (4) के अधीन, उसमें विनिर्दिष्ट समय समाप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर राज्य सरकार को शुल्क का अंतरण करने की अपेक्षा है, ऐसे समय के भीतर अंतरण करने में असफल रहेगा,

वह जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो ऐसे व्यतिक्रम में संग्रहण या अंतरण के एक प्रतिशत तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(2) कोई व्यक्ति,—

(क) जिससे धारा 9क की उपधारा (5) के अधीन सरकार को संव्यवहारों के ब्यौरे देने की अपेक्षा है, उसे देने में असफल रहेगा ; या

(ख) जो ऐसा दस्तावेज देगा या ऐसी घोषणा करेगा, जो मिथ्या है या जिसके मिथ्या होने के बारे में ऐसा व्यक्ति जानता है या उसे विश्वास है,

वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए के जुर्माने से या एक करोड़ रुपए के जुर्माने से, इनमें से जो भी कम हो, दंडनीय होगा ।"।

नई धारा 73क का अंतःस्थापन।

19. मूल अधिनियम की धारा 73 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

"73क. (1) केंद्रीय सरकार, अध्याय 2 के भाग कक के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए ऐसे नियम बना सकेगी, अर्थात् :—

(क) धारा 9क की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन स्टाक एक्सचेंज द्वारा राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत समाशोधन निगम की ओर से उसके क्रेता से स्टांप शुल्क का संग्रहण करने की रीति ;

(ख) धारा 9क की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निक्षेपागार द्वारा राज्य सरकार की ओर से अंतरक से स्टांप शुल्क का संग्रहण करने की रीति ;

(ग) धारा 9क की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन निक्षेपागार द्वारा राज्य सरकार की ओर से निर्गमकर्ता से स्टांप शुल्क का संग्रहण करने की रीति ;

(घ) धारा 9क की उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार को स्टांप शुल्क के अंतरण की रीति ;

(ङ) कोई अन्य विषय, जो नियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए।"।

धारा 76 का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।"।

अनुसूची 1 का संशोधन।

21. मूल अधिनियम की अनुसूची 1 में,—

(i) अनुच्छेद 19 के स्तंभ (1) में,—

(क) "प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज" शब्दों के पश्चात्, "(अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 56क के अंतर्गत आने वाले प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज के सिवाय)" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "शेयरों का आबंटन पत्र (सं0 36) भी देखिए" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(ii) अनुच्छेद 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)
"27. डिबेंचर — [धारा 2(10क) द्वारा यथा परिभाषित]	
(धारा 9क और धारा 9ख देखिए)	
(क) डिबेंचर के निर्गम की दशा में ;	0.005%
(ख) डिबेंचर के अंतरण और पुनःनिर्गम की दशा में	0.0001%"।

(iii) अनुच्छेद 28 के स्तंभ (1) में, "माल की बाबत परिदान आदेश" शब्दों के पश्चात, "(स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों के संव्यवहार व्यवस्थापन के संबंध में परिदान आदेश के सिवाय)" कोष्ठक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iv) अनुच्छेद 36 में, स्तंभ (1) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"36. किसी कंपनी या प्रस्थापित कंपनी द्वारा लिए जाने वाले उधार की बाबत आबंटन पत्र।";

(v) अनुच्छेद 56 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित अनुच्छेद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)
"56क. डिबेंचरों से भिन्न अन्य प्रतिभूति (धारा 9क और धारा 9ख) देखिए—	
(क) डिबेंचर से भिन्न प्रतिभूति का निर्गम	0.005%
(ख) परिदान के आधार पर डिबेंचर से भिन्न प्रतिभूति का अंतरण	0.015%
(ग) अपरिदान के आधार पर डिबेंचर से भिन्न प्रतिभूति का अंतरण	0.003%
(घ) व्युत्पाद—	
(i) भावी (साधारण शेयर और वस्तु)	0.002%
(ii) विकल्प (साधारण शेयर और वस्तु)	0.003%
(iii) करेंसी और ब्याज दर व्युत्पाद	0.0001%
(iv) अन्य व्युत्पाद	0.002%
(ङ) सरकारी प्रतिभूतियां	0%
(च) निगम बंधपत्रों पर रेपो	0.00001%";

(vi) अनुच्छेद 62 की मद (क) और मद (ख) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

भाग 2

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 का संशोधन

2003 के अधिनियम सं. 15 की धारा 8 का संशोधन।

22. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 8 की उपधारा (3) में उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे,—

(i) खंड (क) में, "नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर "तीन सौ पैंसठ दिन" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण** — खंड (क) के अधीन तीन सौ पैंसठ दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, उस अवधि को अपवर्जित किया जाएगा जिसके दौरान तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी न्यायालय द्वारा अन्वेषण पर रोक लगा दी जाती है।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य आय-कर की विद्यमान दरों को वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए चालू रखना और करदाताओं को कतिपय अनुतोष प्रदान करना और कतिपय अधिनियमितियों में संशोधन करना है।

2. विधेयक का **खंड 2** आय-कर की दरों का उपबंध करने के लिए है। आय-कर की उन दरों को, जो वित्त अधिनियम, 2018 की पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट की गई थीं, वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए, उस वित्तीय वर्ष के दौरान चालू आय के संबंध में देय "अग्रिम कर" की संगणना करने के लिए और कतिपय विशेष प्रयोजनों के लिए, निर्धारण वर्ष 2019-2020 के लिए निर्धारणों के प्रयोजन के लिए जारी रखने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्ताव भी है कि उन्हीं दरों को वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए भी, उस वित्तीय वर्ष के दौरान चालू आय पर देय "अग्रिम कर" की संगणना करने के लिए और उक्त विशेष प्रयोजनों के लिए जारी रखा जाए।

3. वेतन से भिन्न आय से वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती के लिए दरों को भी, जो वित्त अधिनियम, 2018 की पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट की गई थीं, वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान ऐसी आय से स्रोत पर कर की कटौती के लिए जारी रखने का प्रस्ताव है।

4. तदनुसार, इसमें यह प्रस्ताव है कि वित्त अधिनियम, 2018 की धारा 2 और उसकी पहली अनुसूची के उपबंधों को, पारिणामिक और अन्य आवश्यक उपांतरणों सहित, यथास्थिति, निर्धारण वर्ष 2019-2020 या वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए लागू किया जाए।

5. विधेयक का **खंड 3** आय-कर अधिनियम की धारा 16 का संशोधन करने के लिए है जिससे वेतन आय से कटौती की रकम को विद्यमान चालीस हजार रुपए से बढ़ाकर पचास हजार रुपए करके वेतन भोगी करदाताओं को अनुतोष प्रदान किया जा सके।

6. विधेयक का **खंड 4** आय-कर अधिनियम की धारा 23 का संशोधन करने के लिए है जिससे करदाता को, जैसा वर्तमान में उपबंध है, एक ऐसे गृह की बजाय स्वयं के अधिभोग में घोषित किन्हीं दो गृहों की बाबत शून्य वार्षिक मूल्य का दावा करने के लिए उसे कोई विकल्प अनुज्ञात करके अनुतोष प्रदान किया जा सके। यह खंड करदाताओं को अनुतोष प्रदान करने के लिए भी है कि अविक्रीत गृह सूची के संबंध में कल्पित किराया उस वित्तीय वर्ष, जिसमें समापन प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर लिया जाता है, के अंत से विद्यमान एक वर्ष की बजाय दो वर्ष तक कर से प्रभार्य नहीं होगा।

7. विधेयक का **खंड 5** आय-कर अधिनियम की धारा 24 का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज के मद्दे कटौती की धनीय सीमा स्वयं के अधिभोग में एक गृह से अधिक गृहों के मामलों में कटौती की रकम के योग को लागू होती रहेगी।

8. विधेयक का **खंड 6** आय-कर अधिनियम की धारा 54 का संशोधन करने के लिए है जिससे आवासीय गृह के अंतरण से उद्भूत दो करोड़ रुपए तक का दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ रखने वाले करदाताओं को वर्तमान में यथा उपबंधित एक आवासीय गृह की बजाय भारत में दो आवासीय गृहों के क्रय या सन्निर्माण के लिए उक्त रकम का उपयोग करने के लिए निर्धारिती को उसके विकल्प पर एकबारगी अवसर प्रदान किया जा सके।

9. विधेयक का **खंड 7** आय-कर अधिनियम की धारा 80झखक का संशोधन करने के लिए है जिससे सस्ते गृहों के प्रदाय में वृद्धि करके कटौती का फायदा उठाने के लिए गृह परियोजना का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिए समयसीमा को 31 मार्च, 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 किया जा सके।

10. विधेयक का **खंड 8** आय-कर अधिनियम की धारा 87क का संशोधन करने के लिए है जिससे व्यष्टिक करदाताओं को अनुतोष प्रदान करने के लिए कर रिबेट की विद्यमान दो हजार पांच सौ रुपए की रकम को बढ़ाकर बारह हजार पांच सौ रुपए किया जा सके। यह कर रिबेट अब उन करदाताओं को अनुज्ञेय होगी जिनकी कुल आय विद्यमान तीन लाख पचास हजार रुपए की बजाय पांच लाख रुपए तक है।

11. विधेयक का **खंड 9** आय-कर अधिनियम की धारा 194क का संशोधन करने के लिए है जिससे किसी बैंककारी कंपनी, सहकारी सोसाइटी या डाकघर द्वारा प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न, संदत्त ब्याज आय के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती के लिए अवसीमा को दस हजार रुपए से बढ़ाकर चालीस हजार रुपए करके अनुपालन के भार को कम किया जा सके।

12. विधेयक का **खंड 10** आय-कर अधिनियम की धारा 194झ का संशोधन करने के लिए है जिससे किराए से आय के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती के लिए अवसीमा को सुव्यवस्थित करने हेतु एक लाख अस्सी हजार रुपए से बढ़ाकर दो लाख चालीस हजार रुपए किया जा सके।

13. विधेयक के **खंड 11 से खंड 21** एक अभिकरण अर्थात् स्टॉक एक्सचेंजों या एक लिखत पर उसके समाशोधन निगम या निक्षेपागारों के माध्यम से एक स्थान पर राज्यों द्वारा प्रतिभूति बाजार लिखतों पर स्टांप शुल्क के उद्ग्रहण और प्रशासन के लिए तथा अन्ततोगत्वा क्रय करने वाले ग्राहक के अधिवास के राज्य के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों के साथ समुचित रूप से उनका हिस्सा बटाने के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 का संशोधन करने के लिए है।

14. विधेयक का **खंड 22** धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 8 की उपधारा (3) का संशोधन करने के लिए है जिससे नब्बे दिन की उस समय-सीमा को, जिसके लिए अन्वेषण की अवधि के दौरान कुर्की विधिमान्य बनी रहेगी, बढ़ाकर तीन सौ पैंसठ दिन किया जा सके और साथ ही यह उपबंध भी किया जा सके कि तीन सौ पैंसठ दिन की अवधि की संगणना करने में उस अवधि को अपवर्जित किया जाएगा, जिसके दौरान किसी न्यायालय द्वारा अन्वेषण पर रोक लगा दी जाती है।

पीयूष गोयल

नई दिल्ली ;
30 जनवरी, 2019

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश

[श्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री से लोक सभा के महासचिव को 30 जनवरी, 2019 के पत्र सं0 2(5)बी(डी)/2019 का हिंदी अनुवाद]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय-वस्तु के बारे में अवगत होने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) और खंड (3) के अधीन यह सिफारिश करते हैं कि वित्त विधेयक, 2019 लोक सभा में पुरःस्थापित किया जाए और लोक सभा से यह भी सिफारिश करते हैं कि विधेयक पर विचार किया जाए।

2. विधेयक, 1 फरवरी, 2019 को बजट प्रस्तुत किए जाने के ठीक पश्चात् लोक सभा में पुरःस्थापित किया जाएगा।

लोक सभा

आय-कर की विद्यमान दरों को वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए जारी रखने और करदाताओं को कतिपय अनुतोष प्रदान करने और कतिपय अधिनियमितियों में संशोधन करने के लिए विधेयक

[श्री पीयूष गोयल,
वित्त मंत्री]